न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी– अरविन्द कुमार जाखड़ (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या 67 / 2021 — दायरा दिनांक 20.10.2021

GCMS CASE NO- 2021/00067

प्रकाश उर्फ औम प्रकाश पुत्र लिच्छीराम जाति जाट साकिन गैरूपुरा उर्फ शीलवाणी तहसील सूरतगढ़ जिला श्रीगंगानगर (अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व सूरतगढ़ (रेस्पोडेंट)

<u>अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956</u>

उपस्थितः–

1. श्री शिशपाल शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
2. पैरोकार राज

दिनांकः– 11.04.2023

:: <u>निर्णय</u> ::

यह अपील तहसीलदार (राजस्व) सूरतगढ के प्रकरण संख्या 03/2021 अनवान सरकार बनाम प्रकाश उर्फ औमप्रकाश में पारित निर्णय दिनांक 28.01.2021 के विरूद्व इस न्यायालय में पेश की गई है। अपीलांट ने जरिये अपील निवेदन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश में जैर अपील भूमि तहसील सूरतगढ़ के चक 14 एसएलडी ए के प.न. 78/385 के किला न. 20 ता 24 व पत्थर न. 78/386 के किला न. 1 व 10 के कुल 1.671 है0 रकबा पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए मौके पर खडी फसल को जब्त करने हेतु गिरदावर हल्का को आदेश दे दिये व इसके पश्चात पत्रावली में राजस्व मण्डल की निगरानी संख्या 1707/2012 में जारी स्थगन की प्रति उपलब्ध रहते भी अपीलांट को बिना सुने ही दिनांक 08.10.2021 को अपीलांट को इस रकबा से मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पूर्ववर्ती वर्षो में काश्त की गई जिन्सों का कुन्तानामा तय कर राजस्व रिकार्ड में मांग कायमी का नोटिस जारी कर दिया। उक्त आदेश अपीलांट के पीछे पारित किया गया है। अतः अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार सूरतगढ़ का निर्णय दिनांक 28.01.2021 खारिज किया जावे।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेंट को जरिये नोटिस तलब किया। अपीलांट की ओर से अधिवक्ता श्री शिशपाल शर्मा हाजिर आये तथा रेस्पोडेंट पैरोकार राज उपस्थित हुए। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख मंगवाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया।

सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने अपील के साथ प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद के तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 28.01.2021 की निरन्तरता में दिनांक 08.10.2021 को जैर अपील आदेश पारित कर दिया व इस फैसले की जानकारी अपीलांट को प्रथम बार दिनांक 14.10.2021 को नोटिस प्राप्ती से हुई। अपीलांट द्वारा उसी दिन नकल हेतु आवेदन कर दिया गया था। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 20.10.2021 को जैर अपील आदेश की नकल अपीलांट को दी गई। तब बिना किसी देरी किये अपीलांट द्वारा हस्तगत अपील पेश कर दी गई। अपीलांट द्वारा जान बूझ कर अपील देरी से पेश नही की गई है। अतः प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार करते हुए अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जावे।

पैरोकार राज द्वारा ना तो उक्त प्रार्थना पत्र का कोई जवाब पेश किया गया तथा ना ही अपीलांट द्वारा प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत शपथ पत्र का प्रति शपथ पत्र पेश किया गया। दौराने बहस भी प्रार्थना पत्र स्वीकार करने पर कोई आपत्ति जाहिर नहीं की गई।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिया जाना प्रतीत नहीं होता है। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम में अपीलांट ने देरी का जो कारण बताया है वह उचित व [illegible] पत्र स्वीकार करने पर रेस्पोडेंट द्वारा कोई आपत्ति भी नहीं की गई है। प्रकरण में कानूनी बिन्[illegible] इसलिए हस्तगत प्रकरण का निस्तारण तकनीकी बिंदुओं के आधार पर खारिज [illegible] किया जाना युक्तियुक्त एवं न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र अन्त[illegible] मियाद अधिनियम [illegible] किया जाता है तथा अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:28 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्री गंगानगर)

Scanned with OKEN Scanner

प्रकरण मे गुणावगुण पर बहस उभय पक्ष सुनी गई। वकील अपीलांट ने दौराने बहस अपील मीमों में अंकित तथ्यो को दौहराते हुए कथन किया कि अपीलांट का रोही गैरूपुरा उर्फ सीलवानी के खसरा न. 259 व 260 के 24.00 बीघा रकबा पर पुराना कब्जा काश्त चला आ रहा है। इस रकबा को नियमन हेतु ईगानप योजना आवंटन नियम 21 क हेतु पत्रावली भी आवंटन हेतु पेश की हुई है। जिस पर आवंटन अधिकारी सूरतगढ़ ने तहसीलदार से जांच मंगवा रखी है। इसी दौरान रोही गैरूपुरा उर्फ सीलवाणी के रकबा से चक बन्दी कायम हो गई व चकबन्दी के दौरान अपीलांट के कब्जा काश्त के रकबा से चक 14 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/385 के किला न. 20 ता 24 का 1.215 है० व पत्थर न. 78/386 के किला न. 1, 2, 9, 10 का 0.956 है० रकबा व चक 15 एसएलडी के पत्थर न. 79/385 का किला न. 16 ता 25 का 2.530 है० व पत्थर न. 79/386 के किला न. 2 ता 9 का 2.024 है० रकबा कायम हो गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट के पीठ के पीछे चक 14 एसएलडी ए के पत्थर न. 78/385 व 78/386 के 1.671 है० रकबा पर अपीलांट को अतिक्रमी घोषित करते हुए नाजायज काश्त की कार्यवाही अमल में लाकर दिनांक 28.01.2021 को अपीलांट को तलबी का आदेश दे दिया व इसी आदेश में गिरदावर हल्का को मौके पर खडी फसल को जब्त करने का आदेश दे दिया। इसी आदेश की निरन्तरता में दिनांक 08.10.2021 को अपीलांट को बिना सुने ही दिनांक 08.10.021 को अपीलांट को इस रकबा से मौके से भौतिक रूप से बेदखल कर पूर्ववर्ती वर्षो में काश्त की गई जिन्सों का कुन्तानामा तय कर राजस्व रिकार्ड में मांग कायमी का नोटिस जारी कर दिया। जबकि जैर प्रकरण रकबा के बावत राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर में निगरानी संख्या 7107/2012/एलआर/श्रीगंगानगर अनवान ओम प्रकाश उर्फ प्रकाश बनाम राजस्थान सरकार जैरकार है। उक्त निगरानी में जैर प्रकरण रकबा पर माननीय मण्डल का स्थगन प्रभावी है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना सुने बिना सूचना दिये पूर्णतया एकतरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश जारी कर दिया है। अपीलांट उक्त रकबा नियमन/आवंटन करवाने का पूर्णतया हकदार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा धारा 22 उपनिवेशन अधिनियम के तहत की गई कार्यवाही पूर्णतया प्राकृतिक न्याय के सिद्वांतो के विपरीत है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे तथा अधीनरस्थ न्यायालय का अपीलाधीन आदेश दिनांक 28.01.2021 व इस आदेश की निरन्तरता में जारी आदेश दिनांक 08.10.2021 निरस्त किया जावे।

पैरोकार राज ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट ने राजकीय भूमि पर नाजायज काश्त कर अतिक्रमण किया है। अपीलाधीन आदेश सही पारित किया गया है। अपीलांट के विरूद्व नियमानुसार कार्यवाही की जावे।

हमने अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गंभीरता से अवलोकन मनन चिंतन किया एवं साथ ही उभय पक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से पाया कि माननीय न्यायायल राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के प्रकरण संख्या 7107/2012/एलआर/श्रीगंगानगर में जैर अपील भूमि के संबंध में स्थगन आदेश प्रभावित है। माननीय मण्डल के समक्ष प्रकरण जैरकार रहते हुए अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील आदेश पारित किया है जो अनुचित है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 28.01.2021 को प्रकरण दर्ज कर उसी दिन मौके पर खडी फसल जब्त करने के आदेश गिरदावर हल्का को दे दिये। उक्त आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान करते हुए अपीलांट को सुना भी नहीं गया है। अतः अधीनरस्थ न्यायालय का अपीलाधीन निर्णय त्रुटिपूर्ण पाये जाने से निरस्त योग्य है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के आदेश दिनांक 28.01.2021 निरस्त किया जाता है तथा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस आश्य के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अपीलांट को सुनवाई हेतु समुचित अवसर प्रदान करते हुए तथा माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर के आदेश को ध्यान में रखते हुए पुनः विधिवसम्मत निर्णय पारित करे। निर्णय की प्रति सहित अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख वापिस लौटाया जावे। अपीलांट दिनांक 18/04/2023 को अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार (राजस्व), सूरतगढ़ के समक्ष पेश होवे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अरविन्द कुमार जाखड़)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
सूरतगढ़ (श्रीगंगानगर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Arvind Kumar Jakhar
Date: 2023.05.18 11:28:28 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner